अनुसूची-१४ –फारम स० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 09/2014

चिन्तामन राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 37, दिनांक 20.06.2014 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 27.12.2013 को चिन्तामन राय, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–159/2007 ,पंचायत–माधोपुर, प्रखंड–मढौरा, थाना–मढौरा जिला–सारण की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयी– (1) निरीक्षण के समय दुकान बन्द पाई गई। (2) दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि 2 लीटर किरासन तेल देते है एवं 40 रूपया वसूल की जाती है। (3) दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि विक्रेता के द्वारा कैशमेमो नहीं दिया जाता है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 5249 ,दिनांक 28.12.2013 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गयी, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया	

गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि 27.12.2013 को विक्रेता की तबियत अत्यधिक खराब हो गयी थी जिसे डॉक्टर से दिखाने के लिए वे छपरा गए थे जिस कारण दूकान बंद थी। विक्रेता के द्वारा चिकित्सक की सलाह पर्ची अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता के विरूद्ध लगाया गया आरोप सरासर गलत है। जिस व्यक्ति राजेन्द्र राय के द्वारा शिकायत करने की बात है, उस व्यक्ति का शपथ पत्र भी विक्रेता के द्वारा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है जिसमे विक्रेता से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होने की बात अंकित है। एक अन्य मामले में, माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा पारित अपने आदेश में अंकित किया गया हैं कि एक दिन दूकान के बंद होने की स्थिति में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रदद करने जैसी गंभीर सजा दिया जाना उचित नहीं है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 37, दिनांक 20.06.2014) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरूद्ध एक उपभोक्ता का बयान रक्षित है, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने कारण पृच्छा में शिकायत करने वाले उपभोक्ता के नाम का उल्लेख नही किया गया है। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। विक्रेता से प्राप्त कागजातों की जांच के क्रम में यदि कोई गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिए आवश्यक है कि इस संबंध में विक्रेता से वे पुरक कारण पृच्छा करते एवं प्राप्त जवाब के आलोक में विक्रेता की अनुज्ञप्ति के विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई

की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। अपीलार्थी के द्वारा शिकायत करने वाले व्यक्ति का शपथ पत्र अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विक्रेता से किसी भी प्रकार की शिकायत नही होने की बाता अंकित है। **अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 19.07.14 को स्वीकृत किया जाता है।** साथ ही अपीलार्थी को निर्देश है कि भविष्य में नियंत्री पदाधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना दूकान को बंद न रखी जाय। किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि वे स्वयं उपस्थित नही हो पा रहे हो तो किसी प्राधिकृत व्यक्ति को रखकर दूकान का संचालन निर्धारित कार्य अवधि में अवश्य करवाना सुनिश्चित करावें। इस आशय का शपथ पत्र अपीलार्थी से प्राप्त करना अनुज्ञापन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 364 /न्या0, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/5/15